श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: सभापति महोदय, यह एक अच्छी पहल है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय को विदित होगा कि मंगोलाइट रीजन बनाने का चिन्दविन वैली से लेकर विटागांग हिलट्रेक तक एक बहुत बड़ा आंदोलन आतंकवादियों का चल रहा है। यह सड़क योजना या रेल बनने पर क्या उसको भी सपोर्ट मिल जाएगा या उसको परास्त किया जा सकेगा उनके तर्कों को और उस तरफ नये विकास के आयाम उभरेंगे उसको भी नजर किया गया है या नहीं, यह बताने की कृपा करें?

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति जी, इस योजना से आतंकवाद पर काबू पाने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। इसमें यह बात है कि जो भी नया इलाका खुलता है उससे वहां एक तरफ जो आर्थिक प्रगति होती है और दूसरी तरफ जो युवा वर्ग है वह आतंकवाद से खिचकर जो आर्थिक विकास हो रहा है, उसकी तरफ आकर्षित होता है। दूसरा इलाका खुलने से हम वहां पर विधि व्यवस्था की व्यवस्था कर सकते हैं।

Non-core sectors under contract Labour Act

*147. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have identified thirteen non-core sectors to be brought under the Contract Labour Act;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to rename the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SAHIB SINGH VERMA): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) A Group of Ministers has been set up to examine the proposal for amendment to Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970. One of the proposals relates to amendment in provision regarding prohibition of employment of contract labour with a view to allow engagement of contract labour by establishments in certain supportive or peripheral activities. A list of such activities is given in the Statement-I. (*see* below)

(c) There is no proposal at present to rename the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.

(d) Does not arise.

Statement-I

List of supportive or peripheral activities proposed to be excluded from the purview of the provision relating to prohibition of employment of contract labour.

(i) Sweeping, cleaning, dusting and collection and disposal of all kinds of waste.

(ii) Security services.

(iii) Gardening, maintenance of lawns.

(iv) Maintenance, servicing and repair of equipments, machines and plants of all kinds.

(v) Running of canteen services.

(vi) Loading, unloading of raw material, finished productions or any other material.

(vii) Housekeeping and laundry services.

(viii) IT and relating services.

(ix) Running of hospitals, educational and training institutions, guest houses, clubs etc. where these are in the nature of support services of an establishment.

(x) Transport services including ambulance services, where these are in the nature of support service of an establishment.

(xi) Courier services.

(xii) All activities related to export oriented units/export processing zones.

(xiii) Construction and maintenance of buildings, roads and bridges.

श्री सुरेश पचौरी: आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार स्वीकार करती है कि कांट्रेक्ट लेबर (रेग्युलेशन एण्ड

एबोलिशन) एक्ट, 1970 आउटडेटेड हो गया है? अगर यह आउटडेटेड हो गया है तो क्या यह सही है कि इस संबंध में रिवाइज्ड लेजिस्लेशन लाने के लिए कैबिनेट में एक प्रस्ताव आया था जिस पर किसी कारण से सहमति नहीं हो पाई थी? दूसरा जो खास बिंदु है कि जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग का माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जिक्र किया है क्या उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में इस बारे में सहमति या सर्वानुमति हो पाई है जिसमें खास-खास बिन्दु लेबर्स की साप्ताहिक छुट्टी के हैं, साथ ही ओवरटाइम एलाउंस के प्रावधान के हैं और जो वर्क फोर्स है उसकी परिभाषा का है? यदि है तो उसका विवरण क्या है?

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति जी, यह बात सही है कि इसमें संशोधन की बात आई थी। माननीय वित्त मंत्री ने 2001-02 के बजट में भी इसके बारे में चर्चा की थी कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए कि इसमें क्या संशोधन हो इसका एक प्रस्ताव कैबिनेट के पास गया था, फिर वह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में गया था। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में इसके ऊपर पूरा विचार और काफी चर्चा हो चुकी है लेकिन यह अभी फाइनल नहीं हुआ है, शायद अभी इसकी एक बैठक और होनी है। इस बैठक के होने के बाद उसमें यह एक विचार किया जा रहा है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज, जैसे झाड़ू लगाना, साफ-सफाई, हर प्रकार का अपशिष्ट एकत्र करना, उसका निपटान करना आदि शामिल हों ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: झाड़ू लगाने की बात भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में जाती है?

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति जी, यह कांट्रेक्ट लेबर की बात है, अकेले झाड़ू लगाने की बात नहीं है। इसमें किसी भी एस्टेबलिशमेंट में क्या-क्या ऐसे काम हैं जो रेग्युलर एम्लॉइज के द्वारा हो, क्या-क्या ऐसे काम हैं जिनका ठेका दिया जा सकता है, इसकी बात है। उस एस्टेबलिशमेंट के द्वारा जिन कामों का ठेका दिया जा सकता है उसमें कुल मिलाकर करीब तेरह चीजों का जिक्र आया है। जैसाकि मैंने कहा कि यह अभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की फाइनल एप्रूवल नहीं है। इसके बाद इस पर चर्चा हुई है। यह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन्स के बाद कैबिनेट में आ जाएगा और कैबिनेट की एप्रूवल के बाद आपके सामने आ जाएगा। इसमें सुरक्षा सेवाएं, बागवानी, मैदानों का रख-रखाव, हर प्रकार के उपकरणों, मशीनों और संयंत्रों का रख-रखाव, सफाई-धुलाई और मरम्मत, कैंटीन सेवाएं चलाना, कच्चा माल, तैयार उत्पाद या अन्य कोई सामग्री लादना-उतारना, हाउस कीपिंग और लांड्री सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी और उससे संबंधित सेवाएं, अस्पताल, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान, गेस्ट हाउस, क्लब इत्यादि चलाना जहां ये किसी प्रतिष्ठान की सहायता सेवा के स्वरूप का हो, एंबुलेंस सेवाएं, कुरियर सेवाएं, निर्यातपरक इकाइयों/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों से जुड़े सभी कार्यकलाप, भवनों, सड़कों और पुलों का निर्माण और रख-रखाव इस प्रकार की जो चीजें, उन पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने विचार किया है, एक तरह से जो एक्टिविटीज, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आपको और पूछना है।

श्री सुरेश पचौरी: आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके जरिए यह जानना चाहता हूं कि कांट्रैक्ट लेबर के अंतर्गत जो सैक्टर्स आते हैं, माननीय मंत्री जी ने उनका जिक्र किया है, इन सब बातों की परिधि में और इस एक्ट की परिधि में श्रमिकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए क्या यह सरकार इस वर्ष रिवाइज्ड लेजिस्लेशन ले आएगी? यह मैं आपके जरिए जानना चाहता हूं।

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति जी, आपकी पहले जो एक चिंता थी, जिसे मैं पहले नहीं बता पाया था, दुबारा उसके बारे में कहा है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: यह बात मिट गई है, इसका जवाब दीजिए।

श्री साहिब सिंह वर्मा: मैं वही बता रहा हूं।

श्री सभापति: नहीं ये जो अभी पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए।

श्री साहिब सिंह वर्मा: मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, इन्होंने पूछा है कि जो लोग कांट्रैक्ट लेबर पर जाएंगे, उनके वीकली होलिडे का क्या होगा, उनके ओवरटाइम का क्या होगा, उनकी सामाजिक सुरक्षा का क्या विचार होगा, इन सब चीजों पर जो अब नया निर्णय होगा उसमें हम विचार कर रहे हैं। जहां तक आपने पूछा कि यह कब तक हो जाएगा, मैं समझता हूं कि कुछ महीनों के अंदर-अंदर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में फैसला हो जाएगा। फिर केबिनेट और इसमें जो भी समय लगेगा वह तो लगेगा, लेकिन उसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं।

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Sir, as you know, in this country, the total number of regular employees is more than three times the number of contract labourers who are working in the Central Government Departments, the State Government Departments and other industries. These people have been working for the last 20 years or 30 years or 40 years. I want to know from the hon. Minister whether the Government is contemplating, before bringing this legislation in the House, to regularise the service of persons who have already served for more than 30 years in the same field. Sir, I also want to know whether the Government will also consult all the social partners like the employers, and all the trade unions before bringing this legislation.

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति महोदय, इस बारे में जितने ट्रेड यूनियन के लोग हैं, उनसे हम अवश्य चर्चा करेंगे। कुछ से पहले हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम और चर्चा भी करेंगें चर्चा के लिए तो हम हमेशा तत्पर रहते हैं। जिस विषय पर भी हमने आज तक विचार किया है, उसमें सोशल पार्टनर्ज़ की राय के बिना हमने अभी तक उस पर निर्णय नहीं लिया है। इसमें भी हम सोशल पार्टनर्ज़ से राय करके निर्णय लेंगे।